न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी
प्रकरण संख्या : 93/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 09.09.2025 निर्णय दिनांक : 21.11.2025

1. नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र बोहडूराम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कुतीना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। .....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान,
2. छिकारा डेवेलपर्सएल एल पी द्वारा प्रवीण छिकारा पुत्र जयकिशन छिकारा जाति जाट निवासी मकान नंबर आरजेड 11 एफ कॉलोनी मन रोड पालम कॉलोनी पूरणनगर साउथ वेस्ट दिल्ली–110077,
3. महेन्द्रसिंह पुत्र भूरसिंह,
4. रमेश देवी पत्नी रतनसिंह,
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र रतनसिंह,
6. लक्ष्मीबाई पुत्री रतनसिंह,
   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम कादीपुर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ, हरियाणा।
7. शक्तिसिंह पुत्र श्री भूरसिंह,
8. सत्यवीरसिंह पुत्र श्री भूरसिंह,
   समस्त जाति अहीर निवासी बटाना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
9. सुशील कुमार सयाल पुत्र गिरधारीलाल सयाल जाति खत्री निवासी विला न0 12 सेक्टर 22 गुडगावां हरियाणा।
10. तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान। .....अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री मती संजू यादव अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 की ओर सें।

दिनांक–21.11.2025

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष उनवानी प्रकरण नरेन्द्र कुमार बनाम महैन्द्र सिंह वगैरा, प्रकरण संख्या 200/2025 मय स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्रीमती संजू यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 4/0.38 वाके मौजा बटाना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड में स्थित है प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के बतरफ दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 09 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 16/7.40, 3/1.71, 15/0.01, 17/0.95, 18/1.06 कुल किता 06 रकबा 1.52 हैक्टेयर वाके मौजा बटाना स्थित है। प्रार्थी ने अपनी भूमि में मौके पर डोल लगा रखी थी। अप्रार्थीगण, प्रार्थी की भूमि में लगी डोल को तोडकर स्वयं के खसरा नम्बरान में शामिल कर मौके पर चारदीवारी लगाने पर उतारू होने पर प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद धारा 188 आरटीएक्ट बअनुवानी नरेन्द्र कुमार बनाम महेन्द्रसिंह वगैरा प्रकरण संख्या 200/2025 व स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 के विरुद्ध प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में केवियट

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपरोक्त वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पूर्व ही केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर उन्हे बाद सूचना तलब किये जाने के पश्चात शेष अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के उपरान्त भी आज दिवस तक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार कोई आदेश पारित नहीं किया एवं अप्रार्थीगण मौके पर लगातार निर्माण कार्य करने व प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर रहे है प्रार्थी द्वारा बार बार कहे जाने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के दवाब में प्रार्थी के उपरोक्त स्थगन प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नही कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 02 एक बिल्डर है जिन्होने अपनी पहुंच व आर्थिक ताकत का नाजायज फायदा उटाते हुये अधिनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी महोदय अप्रार्थी संख्या 01 पर अनावश्यक दवाब बना प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण नहीं किये जाने की सूरत में प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि से महरूम होना होगा ऐसी सूरत में प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से उपरोक्त पत्रावली में किसी प्रकार की न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 09 को अनैतिक लाभ पहुंचाने की गर्ज से न तो उनसे जवाब प्राप्त कर रहे है एवं ना ही उपरोक्त पत्रावली में कोई विधिक आदेश पारित कर रहे है ऐसी सूरत में प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद. नहीं. है इसलिए उपरोक्त पत्रावली का स्थानान्तरण उपखण्ड अधिकारी नीमराना के राजस्व न्यायालय के अतिरिक्त जिले के अन्यत्र न्यायालय में किया जाना न्यायसंगत है।

अन्त में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष विचाराधीन वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बअनुवानी नरेन्द्र कुमार बनाम महेन्द्रसिंह वगैरा प्रकरण संख्या 200/2025 व स्थगन प्रार्थना पत्र जिले के अन्यत्र राजस्व न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण किये जाने के आदेश सादिर फरमावे।

5 वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मनमाने व झूठे तथ्य अंकित करते हुए पेश किया है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अतः उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

6. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन पर स्पष्ट है कि प्रार्थी ने उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी नरेन्द्र कुमार बनाम महेन्द्रसिंह वगैरा प्रकरण संख्या 200/2025 व स्थगन प्रार्थना पत्र जिले के अन्यत्र राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने हेतु पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण वास्तें प्रतिवादीगण की तलबी एवं जवाब दावा/प्रार्थना पत्र में लम्बित है। वकील प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का कोई सबूत/साक्ष्य पेश नहीं किये है। मात्र कयास के आधार पर उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं हैं। प्रकरण में सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति संबंधित न्यायालय को भिजवाई जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़